निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 08/2021 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री जितेन्द्र सिंह कृषि अधिकारी (प्रशि.) एवं उर्वरक निरीक्षक सांगानेर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

श्री सुण्डाराम पुत्र भगवान सहाय गुर्जर निवासी कुम्भावास, सूराणा शाहपुरा ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक मात्रा 98 बैग्स 50 कि.ग्रा. प्रति बैग व ट्रक आरजे 32 जीए 8770 को राजसात करने बाबत ।

उपस्थित :-

1 विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.03.2023

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2021 को रात्रि 11.50 पी एम पर उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद जयपुर द्वारा प्राप्त मौखिक निर्देशानुसार चाकसू कस्बे में DAP उर्वरक की जांच करने हेतु गया । मौके पर ट्रक ड्राईवर सुण्डाराम पुत्र भगवान सहाय गुर्जर निवासी कुम्भावास, सूराणा शाहपुरा द्वारा ट्रक नं. आरजे 32 जीए 8770 में IPL कम्पनी को DAP के बैग ट्रक में से ही बिना पोश मशीन के बेचान करते पाये जाने पर स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी चाकसू की रिपोर्ट के आधार पर थाना अधिकारी चाकसू द्वारा ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया । ट्रक ड्राईवर सुण्डाराम गुर्जर को DAP उर्वरक के बेचान व खरीदी से सबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगने पर कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया। उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद जयपुर के निर्देशानुसार विक्रयकर्ता द्वारा पोष मशीन द्वारा उर्वरक विक्रय नहीं करने तथा बिना अनुज्ञा पत्र के IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक का अवैद्य रूप से कृषकों को बेचान कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लंघन कर क्षेत्र के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के कारण उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत दिनांक 18.10.2021 को रात्री 12.15 बजे IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक के 98 कट्टे प्रत्येक 50 कि.ग्रा. को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया । अप्रार्थी द्वारा IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक का अवैद्य रूप से विक्रय कर उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन कर क्षेत्र के किसानों के साथ धोखाधडी करने के कारण दिनांक 18.10.2021 को पुलिस थाना चाकसू में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत जब्त उर्वरक एवं ट्रक को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं उर्वरक शीघ्र खराब होने एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का इस्तदुआ किया है।

प्र
जिला कलक्टर
जयपुर

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त उर्वरक शीघ्र खराब होने एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरित निस्तारण के आदेश दिनांक 01.11.2021 को पारित किये जाकर सहायक निदेशक कृषि (वि) सांगानेर को निर्देशित किया गया कि जब्त उर्वरक का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र बैसला ने वकालतनामा पेश कर जब्त ट्रक को जमानत पर रिलीज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 01.11.2021 को जब्त ट्रक आरजे 32 जीए 8770 को अक्षरे सात लाख रूपये की जमानत व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किया गया । तत्पश्चात अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. बहस एक पक्षीय विभागीय पैरोकार की सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर ट्रक ड्राईवर सुण्डाराम पुत्र भगवान सहाय गुर्जर निवासी कुम्भावास, सूराणा शाहपुरा द्वारा ट्रक नं॰ आरजे 32 जीए 8770 में IPL कम्पनी को DAP के बैग ट्रक में से ही बिना पोश मशीन के बेचान करते पाये जाने पर स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी चाकसू की रिपोर्ट के आधार पर थाना अधिकारी चाकसू द्वारा ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया। ट्रक ड्राईवर सुण्डाराम गुर्जर को DAP उर्वरक के बेचान व खरीदी से सबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगने पर कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया। अप्रार्थी द्वारा IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक का अवैद्य रूप से विक्रय कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है। अतः जब्तशुदा उर्वरक 98 बैग प्रत्येक 50 कि.ग्रा. एवं ट्रक को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।
5. हमने विभागीय पैरोकार द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 20.10.2021 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
6. वक्त जांच अप्रार्थी के पास ट्रक नं॰ आरजे 35 जीए 8770 में IPL कम्पनी को DAP के बैग ट्रक में से ही बिना पोश मशीन के बेचान करते पाया गया। ट्रक ड्राईवर सुण्डाराम गुर्जर को DAP उर्वरक के बेचान व खरीदी से सबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगने पर कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया। न ही दौराने सुनवाई कोई दस्तावेज या जबाब प्रस्तुत किया गया । जिससे अप्रार्थी द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी किये जाने की मनः स्थिति स्पष्ट जाहिर होती है। अप्रार्थी द्वारा IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक का अवैद्य रूप से विक्रय कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा उर्वरक 98 बैग प्रत्येक 50 कि.ग्रा. को राजसात (Confiscate) किया जाना वाजिब समझते है। वाहन चालक/मालिक इस कृत्य में संलिप्त नहीं है, यह साबित करने में नाकामयाब रहा। वाहन मालिक अबेटर की श्रेणी में आता है। जब्त शुदा वाहन का निस्तारण किये जाने के बारे में धारा 6–ए (1) के परन्तुक में प्रावधान दिये गये। अधिनियम की धारा 6 ए (1) परन्तुक में निम्न प्रावधान है–" Provided further That in The case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carried of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the dated of seizure of the essential commodity sought to be carried

जिला कलक्टर
जयपुर

by such animal, vehicle, vessel or other conveyance. अर्थात परन्तुक में भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाडी, यान या अन्य प्रवहरण की दशा में उसके स्वामी को उसको अधिहरण किये जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अधिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय किये जाने का विकल्प दिये जाने का प्रावधान है। अतः वाहन मालिक 5,000/—अक्षरे पांच हजार रूपये जुर्माना राशि मद " 8443—00—103—00 प्रतिभूति राशि" में जमा करावें ।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6—ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक 98 वैग प्रत्येक 50 कि.ग्रा. को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है। सहायक निदेशक कृषि (वि) सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त IPL ब्राण्ड DAP उर्वरक 98 वैग प्रत्येक 50 कि.ग्रा. का अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 01.11.2021 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा अप्रार्थी से जुर्माना राशि वसूल की जावें। जब्त वाहन को जमानत मुचलके पर रिलीज किया गया है जिसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर प्रकरण में रिलीज किया जाता है ।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक निदेशक कृषि (वि) सांगानेर को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **20.03.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर